

ओरियन्टल बैंक ऑफ़ कॉमर्स

(भारत सरकार का उपक्रम)

प्रधान कार्यालय : प्लॉट सं. 5, इंस्टीट्यूशनल एरिया,
सैक्टर-32, गुरुग्राम-122001



ओ.बी.सी.

ORIENTAL BANK OF COMMERCE

(A GOVERNMENT OF INDIA UNDERTAKING)

Head Office : Plot No. 5, Institutional Area,
Sector - 32, Gurugram-122001

HO/MBD/2018

26.11.2018

Scrip Code: ORIENTBANK	Scrip Code: 500315
The Executive Director, National Stock Exchange of India Ltd. , Exchange Plaza, 5 th Floor, Bandra Kurla Complex, Bandra (E), Mumbai-400051	General Manager, Dept. of Corporate Services, Bombay Stock Exchange Limited , Phiroze Jeejeebhoy Towers, Mumbai-400001

Dear Sir,

Reg: Notice of Extraordinary General Meeting of the Bank

This is to inform that an Extraordinary General Meeting of the shareholders of the Bank will be held on Friday, the 21st December, 2018 at 10.00 a.m. at PHD Chamber of Commerce and Industry, PHD House, 4/2, Siri Institutional Area, August Kranti Marg, New Delhi – 110016 to consider the business as detailed in the Notice of EGM. A copy of the Notice of the EGM is enclosed.

In compliance with Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements), Regulations 2015, the Bank has provided its shareholders the facility to exercise voting rights by electronic means through remote e-Voting Services provided by NSDL (www.evoting.nsdl.com) from 18th December, 2018 (9:00 a.m.) to 20th December, 2018 (5:00 p.m.), both days inclusive. The cut - off date for determining the rights of the shareholders for participation in e-voting / voting at the EGM is 14th December 2018.

You are requested to take the above on record.

Yours faithfully,

Company Secretary

Encl: as above



ओरियन्टल बैंक ऑफ़ कॉमर्स ORIENTAL BANK OF COMMERCE

प्रधान कार्यालय : हर्ष भवन, ई-ब्लॉक, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली – 110001
कॉरपोरेट कार्यालय : प्लॉट नं. 5, सेक्टर-32, इंस्टीट्यूशनल एरिया, गुरुग्राम – 122001

HEAD OFFICE: HARSHA BHAWAN, E-BLOCK, CONNAUGHT PLACE, NEW DELHI – 110001
CORPORATE OFFICE: PLOT NO.5, SECTOR-32, INSTITUTIONAL AREA, GURUGRAM – 122001

बैंक की असाधारण आम बैठक की सूचना Notice of Extraordinary General Meeting of the Bank

शुक्रवार 21 दिसम्बर, 2018, नई दिल्ली
Friday, 21st December 2018, New Delhi

स्थान:

पी एच डी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्री,
पी एच डी हाउस, 4/2, सिरी इंस्टीट्यूशनल एरिया,
अगस्त क्रांति मार्ग, नई दिल्ली -110016

VENUE:

PHD Chamber of Commerce and Industry,
PHD House, 4/2, Siri Institutional Area,
August Kranti Marg, New Delhi – 110016



ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स

प्रधान कार्यालय : हर्ष भवन, ई-ब्लॉक, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली - 110001
कॉरपोरेट कार्यालय : प्लॉट नं. 5, सेक्टर-32, इंस्टीट्यूशनल एरिया, गुरुग्राम - 122001

असाधारण आम बैठक की सूचना

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स (शेयर और बेटकें) विनियम, 1998 के विनियम 57 के अनुसरण में ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स के शेयरधारकों की असाधारण आम बैठक **शुक्रवार दिनांक 21 दिसंबर, 2018 को प्रातः 10.00 बजे पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, पीएचडी हाउस, 4/2, सिरी इंस्टीट्यूशनल एरिया, अगस्त क्रांति मार्ग, नई दिल्ली-110016** में निम्नलिखित कारोबार संव्यवहार के लिए आयोजित की जाएगी:

कर्मचारी स्टॉक क्रय योजना (जिसे अब से “ओबीसी-ईएसपीएस” कहा गया है) के तहत, एक या अधिक बार में पूरी तरह से सभी प्रयोजनों के लिए, लाभांश के भुगतान सहित, बैंक के मौजूदा इक्विटी शेयरों के साथ-साथ ऐसे मूल्य अथवा मूल्यों, तथा ऐसे नियम व शर्तों पर, जैसा भी मण्डल/समिति अपने पूर्ण विवेकाधिकार पर निर्णय ले, ₹10/- (रुपए दस मात्र) के अंकित मूल्य पर बैंक के 5,00,00,000 (पांच करोड़) तक के नए इक्विटी शेयर तैयार करने, अनुदान, प्रस्ताव देने, जारी करने तथा आबंटित करने हेतु विशेष संकल्प(पों) के रूप में, निम्नलिखित पर विचार करना और उचित समझे जाने पर आशोधन(नों) सहित या रहित पारित करना :-

“संकल्प किया जाता है कि बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण एवं अंतरण) अधिनियम 1980 (“अधिनियम”), राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना, 1980 (“योजना”) और ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स (शेयर एवं बेटकें) विनियम 1998 (“ओबीसी विनियम”), समय समय पर यथासंशोधित तथा भारतीय रिजर्व बैंक (RBI), भारत सरकार (GOI), भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम (SEBI), स्टॉक एक्सचेंज(जों), जिसमें बैंक के इक्विटी शेयर सूचीबद्ध हैं, जहां लागू हों तथा/अथवा इस संबंध में यथावश्यक अन्य प्राधिकारी द्वारा निर्धारित एवं समय-समय पर ऐसे नियमों, शर्तों व इनके संशोधनों, जो ऐसे अनुमोदन प्रदान करने के लिए निर्धारित किए गए हों तथा जिनसे बैंक के निदेशक मण्डल सहमत हों, सेबी (शेयर आधारित कर्मचारी हित) विनियम, 2014 के नवीनतम प्रावधानों (जिन्हें अब से एसबीईबी विनियम कहा गया है) के दिशानिर्देशों के अधीन, यदि कोई हो, भारतीय रिजर्व बैंक, सेबी, तथा सभी संबंधित प्राधिकारी, बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949, भारतीय प्रतिभूति व एक्सचेंज बोर्ड अधिनियम, 1992 के तहत अधिसूचनाएं/परिपत्र सेबी परिपत्र सीआईआर/सीएफओ/पॉलिसी सेल/2/2015 दिनांक 16 जून 2015 प्रतिभूतियां (संविदाएं) नियम, 1957 यथा संशोधित सहित प्रतिभूतियां संविदाएं (विनियम) अधिनियम, 1956 के साथ पठित तथा स्पष्टीकरणों, तथा समय-समय पर यथालागू अन्य सभी लागू कानूनों तथा अद्यतन सेबी (सूचीकरण बाध्यताएं एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 [सेबी (एलओडीआर)], स्टॉक एक्सचेंजों, नामतः बीएसई लिमिटेड (बीएसई) एवं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इण्डिया लिमिटेड (एनएसई) के साथ बैंक द्वारा किए गए एकरूप सूचीकरण करार तथा किसी स्तर पर किसी प्राधिकारी के यथालागू अनुमोदन(नों), अनुमति(यों) एवं संस्वीकृति(यों) तथा किसी शर्त(तों) व संशोधन(नों) जो ऐसे अनुमोदन(नों), अनुमति(यों) एवं संस्वीकृति(यों) को देते समय इन प्राधिकारियों द्वारा निर्धारित अथवा लागू की जा सकती हों और बैंक के निदेशक मण्डल द्वारा सहमत व स्वीकार की जा सकती हों, ऐसे कर्मचारियों, चाहे भारत अथवा भारत से बाहर कार्य करते हों, जिसमें बैंक के प्रबंध निदेशक व मुख्य कार्यपालक अधिकारी तथा कार्यकारी निदेशक भी शामिल होंगे (कर्मचारी) को, जैसा मण्डल द्वारा निर्णय लिया जाए कर्मचारी स्टॉक क्रय योजना (जिसे अब से “ओबीसी-ईएसपीएस” कहा गया है) के तहत, एक या अधिक बार में पूरी तरह से सभी प्रयोजनों के लिए, लाभांश के भुगतान सहित, बैंक के मौजूदा इक्विटी शेयरों के साथ-साथ ऐसे मूल्य अथवा मूल्यों, तथा ऐसी नियम व शर्तों पर जैसा भी मण्डल/उसकी समिति अपने पूर्ण विवेकाधिकार पर उचित समझे, इस प्रकार भारत सरकार की धारिता 52% से कम न हो ₹10/- (रुपए दस मात्र) प्रति के अंकित मूल्य पर कुल 5,00,00,000 (पांच करोड़) तक के इक्विटी शेयर एक बार में तैयार करने, अनुदान, प्रस्ताव देने, जारी करने तथा कर्मचारियों को आबंटित करने हेतु बैंक के निदेशक मण्डल (जिसे अब से “मण्डल” कहा गया है जिसमें एक समिति शामिल होना माना जाएगा, जिसे मण्डल ने तैयार किया है अथवा/तैयार कर सकता है, इस संकल्प द्वारा दी गई शक्तियों सहित अपनी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए) को बैंक के शेयरधारकों की सहमति प्रदान की जाए और एतद्वारा प्रदान की जाती है।

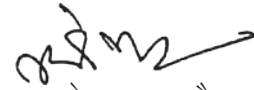
“यह भी संकल्प किया जाता है कि सेबी (शेयर आधारित कर्मचारी लाभ) विनियम, 2014 के विनियम 15 अथवा इसके किसी सांविधिक आशोधन(नों), संशोधन(नों) अथवा पुनर्विनियमन में निर्दिष्ट लेखांकन नीतियों का पालन करेगा।”

“यह भी संकल्प किया जाता है कि ओबीसी-ईएसपीएस के तहत जारी एवं आबंटित इक्विटी शेयरों को स्टॉक एक्सचेंजों में, जहां बैंक के शेयर सूचीबद्ध हैं, स्टॉक एक्सचेंजों के साथ किए गए एकसमान सूचीकरण करार तथा अन्य लागू दिशानिर्देशों, नियमों व विनियमों के अनुसार सूचीबद्ध कराने के लिए आवश्यक कदम उठाने के लिए मण्डल को एतद्वारा प्राधिकृत किया जाए प्राधिकृत किया जाता है।”

“यह भी संकल्प किया जाता है कि “ओबीसी-ईएसपीएस” को ऐसे नियम व शर्तों पर, जैसा कि मण्डल द्वारा निर्णय लिया जाए, क्रियान्वयन, तैयार करने, निर्णय लेने व लागू करने के लिए तथा समय समय पर “ओबीसी-ईएसपीएस” के नियम व शर्तों में आशोधन(नों), परिवर्तन(नों), विचलन(नों), बदलाव(वों) अथवा संशोधन(नों) को करने के लिए, जो मूल्य, अवधि, पात्रता मानदण्ड अथवा ओबीसी-ईएसपीएस को निलंबित, वापसी अथवा इसे इस प्रकार संशोधित करने, जैसा कि मण्डल अपने पूर्ण विवेकाधिकार में निर्णय ले तथा ओबीसी-ईएसपीएस के क्रियान्वयन तथा प्रस्तावित ओबीसी-ईएसपीएस के तहत जारी किए जाने वाले शेयरों के संबंध में उठने वाले सभी प्रश्नों, कठिनाइयों अथवा शंकाओं के समाधान के लिए मंडल को प्राधिकृत किया जाता है, जिसमें शेयरधारकों की आगामी किसी सहमति या अनुमोदन लिए जाने की आवश्यकता के बिना अथवा अंतिम आशय तक यह माना जाएगा कि इस संकल्प के प्राधिकार से शेयरधारकों ने अपना स्पष्ट अनुमोदन प्रदान कर दिया है।”

“यह भी संकल्प किया जाता है कि उपरोक्त संकल्प को और अधिक प्रभावी बनाने के उद्देश्य से बैंक के निदेशक मंडल को एतद्वारा, निदेशकों की समिति(यों), प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी अथवा कार्यकारी निदेशक (कों) या बैंक के किसी अन्य अधिकारी को जैसा यह सेबी (शेयर आधारित कर्मचारी लाभ) विनियम, 2014 तथा अन्य लागू कानून, नियम व विनियमों के अनुपालन में उपरोक्त संकल्प को प्रभावी बनाने के लिए जैसा भी उचित समझे, प्रदत्त अपनी सभी या कुछेक शक्तियों को प्रत्यायोजित करने के लिए प्राधिकृत किया जाता है।”

निदेशक मंडल के आदेश द्वारा
कृते ओरियन्टल बैंक ऑफ़ कॉमर्स



मुकेश कुमार जैन

प्रबन्ध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी

स्थान : गुरुग्राम

दिनांक : 17.11.2018

नोट

1. व्याख्यात्मक विवरणी

बैठक के दौरान किए जाने वाले कारोबार से संबंधित प्रमुख तथ्यों को विश्लेषित करने वाली विवरणी इसके साथ संलग्न है।

2. प्रॉक्सी की नियुक्ति

बैठक में भाग लेने और मतदान करने के लिए पात्र शेयरधारक अपने स्थान पर एक प्रॉक्सी को बैठक में भाग लेने और मतदान करने के लिए नियुक्त करने लिए भी पात्र हैं और ऐसे प्रॉक्सी का बैंक का शेयरधारक होना आवश्यक नहीं है।

तथापि, इस प्रकार नियुक्त प्रॉक्सी को बैठक में बोलने का कोई अधिकार नहीं होगा। प्रॉक्सी फॉर्म को प्रभावी बनाने के लिए इसे बैंक के प्रधान कार्यालय अथवा कॉरपोरेट कार्यालय में बैठक की तिथि से **कम-से-कम चार दिन पहले** अर्थात् शनिवार, 15 दिसंबर, 2018 को अथवा इससे पूर्व सायं 5.00 बजे (बैंक के कार्य समय) तक प्राप्त हो जाना चाहिए।

कृपया नोट करें कि कोई भी व्यक्ति जो ओरियन्टल बैंक ऑफ़ कॉमर्स का अधिकारी अथवा कर्मचारी है उसे ओबीसी विनियम, के प्रावधानों के अनुसार प्रॉक्सी नियुक्त नहीं किया जाएगा।

3. प्राधिकृत प्रतिनिधि की नियुक्ति

कोई भी व्यक्ति किसी कंपनी अथवा निकाय, जो बैंक का शेयरधारक है, के विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में असाधारण आम बैठक में भाग लेने अथवा मतदान करने के लिए पात्र नहीं होगा जब तक कि उसे प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त करने वाले संकल्प की प्रति, उस बैठक के अध्यक्ष द्वारा सत्यापित प्रति, जिसमें यह पारित किया गया है, बैठक की तिथि से **कम-से-कम चार दिन पहले** अर्थात् शनिवार, 15 दिसंबर, 2018 को अथवा इससे पूर्व सायं 5.00 बजे (बैंक के कार्य समय) तक बैंक के प्रधान कार्यालय अथवा कॉरपोरेट कार्यालय में जमा कर दी गई हो।

कृपया नोट करें कि कोई भी व्यक्ति जो ओरियन्टल बैंक ऑफ़ कॉमर्स का अधिकारी अथवा कर्मचारी है, उसे ओबीसी विनियम, के प्रावधानों के अनुसार प्राधिकृत प्रतिनिधि नियुक्त नहीं किया जाएगा।

4. उपस्थिति पर्ची-सह-प्रवेश पास-सह-मतपत्र पास

शेयरधारकों की सुविधा हेतु उपस्थिति पर्ची-सह-प्रवेश पास-सह- मतपत्र पास इस नोटिस के साथ संलग्न है।

शेयरधारकों/प्रॉक्सी धारकों/शेयरधारकों के प्राधिकृत प्रतिनिधियों के पास मतदान के लिए ई-वोटिंग प्लेटफॉर्म प्रयोग करने का विकल्प है। जिन्होंने ई-वोटिंग द्वारा अपने मतदान का प्रयोग नहीं किया है वे असाधारण आम बैठक की तिथि पर बैठक स्थल पर होने वाले मतदान में मतदान कर सकते हैं। शेयरधारकों/प्रॉक्सी धारकों/प्राधिकृत प्रतिनिधियों से अनुरोध है कि विवरणों की जांच कर लें, रिक्त स्थान भर लें, इसमें दिए गए स्थान में अपने हस्ताक्षर करें और इसे बैठक के स्थल पर जमा करा दें। शेयरधारकों के प्रॉक्सी/प्राधिकृत प्रतिनिधियों को उपस्थिति पर्ची-सह-प्रवेश पास-सह-मतपत्र पास में **“प्रॉक्सी”** अथवा **“प्राधिकृत प्रतिनिधि”**, जो भी हो, उल्लेख करना चाहिए। ऐसे प्रवेश पास मतदान के समय मतपत्र प्राप्त करने के लिए जमा कर दिए जाएंगे।

5. मतदान अधिकार

अधिनियम की धारा 3 (2ई) के प्रावधानों के अनुसार, केन्द्र सरकार के इतर, बैंक का कोई शेयरधारक उसके द्वारा बैंक के समस्त शेयरधारकों के मताधिकारों के **दस प्रतिशत** से अधिक शेयर धारिता के संबंध में मताधिकार का प्रयोग करने का पात्र नहीं होगा। प्रत्येक शेयरधारक, जो शुक्रवार, 14 दिसंबर 2018 (रिमोट ई-वोटिंग तथा बैठक स्थल पर मतपत्र के द्वारा मतदान करने के शेयरधारकों के मताधिकार का निर्धारण करने के लिए निर्दिष्ट तिथि) को अथवा इससे पहले शेयरधारक के रूप में पंजीकृत है, का उसके द्वारा धारित प्रत्येक शेयर के लिए एक मत होगा **बशर्ते** यह केन्द्र सरकार के इतर **कुल मताधिकार का अधिकतम 10% हो**।

ओबीसी विनियमों, के विनियम 10 के अनुसार, यदि कोई शेयर दो अथवा अधिक व्यक्तियों के नाम में है तो मतदान के लिए, रजिस्टर में पहले स्थान पर नाम वाला व्यक्ति उसका संपूर्ण धारक माना जाएगा।

• मतदान

- I कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियम, 2014, कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) संशोधन नियम, 2015 द्वारा यथासंशोधित के नियम 20 के साथ पठित, सेबी एलओडीआर के विनियम 44 के प्रावधानों के अनुपालन में बैंक सहर्ष अपने सदस्यों को असाधारण आम बैठक (ईजीएम) में प्रस्तावित संकल्प पर इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से अपने मताधिकार का प्रयोग करने की सुविधा प्रदान करता है और कारोबार ई-वोटिंग सेवाओं के माध्यम से संचालित किया जा सकता है। ईजीएम से इतर स्थान पर इलेक्ट्रॉनिक मतदान प्रणाली का प्रयोग करके मतदान (“रिमोट ई-वोटिंग”) की सुविधा नेशनल सिक्कूरिटीज डिपोजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी।
- II मतपत्र के द्वारा मतदान की सुविधा ईजीएम में उपलब्ध कराई जाएगी और बैठक में शामिल होने वाले ऐसे सदस्य, जिन्होंने रिमोट ई-वोटिंग द्वारा अपने मतदान का प्रयोग नहीं किया है, मतपत्र के द्वारा बैठक में मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे।
- III ऐसे सदस्य भी ईजीएम में शामिल हो सकेंगे, जिन्होंने ईजीएम से पहले रिमोट ई-वोटिंग द्वारा मतदान कर लिया है किंतु वे पुनः मतदान करने के पात्र नहीं होंगे।
- IV रिमोट ई-वोटिंग अवधि 18 दिसंबर, 2018 (प्रातः 9.00 बजे) से शुरू होकर 20 दिसंबर, 2018 को (सायं 5.00 बजे) (दोनों दिन शामिल) समाप्त होगी। इस अवधि में बैंक के सदस्य, जो 14 दिसंबर, 2018 अंतिम तिथि को मूर्त अथवा अमूर्त रूप में शेयर धारण कर रहे हैं, रिमोट ई-वोटिंग के द्वारा अपना मतदान कर सकते हैं। इसके बाद एनएसडीएल द्वारा रिमोट ई-वोटिंग मॉड्यूल बंद कर दिया जाएगा। एक बार सदस्य द्वारा संकल्प पर मतदान करने के बाद सदस्य को इसे बाद में परिवर्तित करने की अनुमति नहीं होगी।
- V एनएसडीएल ई-वोटिंग प्रणाली में इलेक्ट्रॉनिक रूप से मतदान करने के “दो चरण” हैं :

पहला चरण: एनएसडीएल ई-वोटिंग प्रणाली में <https://www.evoting.nsdl.com/> पर लॉगिन करें।

दूसरा चरण: एनएसडीएल ई-वोटिंग प्रणाली पर इलेक्ट्रॉनिक रूप में अपना मतदान करें।

पहले चरण का विवरण निम्नानुसार है:

एनएसडीएल की ई-वोटिंग वेबसाइट पर लॉगिन कैसे करें ?

1. एनएसडीएल की ई-वोटिंग वेबसाइट पर जाएं। पर्सनल कंप्यूटर अथवा मोबाइल पर निम्न यूआरएल टाइप करके वेब ब्राउजर खोलें – <https://www.evoting.nsdl.com/>
2. एक बार ई-वोटिंग प्रणाली का होम पेज खुल जाने पर लॉगिन आइकन, जो ‘शेयरधारक’ खण्ड में उपलब्ध है, पर क्लिक करें
3. एक नई स्क्रीन खुलेगी। आपको अपना यूजर आईडी, अपना पासवर्ड तथा स्क्रीन पर दिखने वाला सत्यापन कोड दर्ज करना होगा।
वैकल्पिक रूप से यदि आप एनएसडीएल ई-सेवाओं अर्थात् आईडीईएस के लिए पंजीकृत हैं, तो <https://www.eservices.nsdl.com/> पर अपनी मौजूदा आईडीईएस लॉगिन के साथ लॉगिन करें। एक बार अपने लॉगिन विवरणों के साथ आपके द्वारा एनएसडीएल की ई-सेवाओं पर लॉगिन करने पर, ई-वोटिंग पर क्लिक करें और आप चरण 2 अर्थात् इलेक्ट्रॉनिक रूप में अपना मतदान करें, पर जा सकते हैं।
4. आपकी यूजर आईडी विवरण निम्नानुसार है:

शेयर धारिता का प्रकार अर्थात् डीमैट(एनएसडीएल अथवा सीडीएसएल) अथवा मूर्त रूप	आपकी यूजर आईडी है:
क) ऐसे सदस्य जिनके शेयर एनएसडीएल में डीमैट खाते में हैं	8 वर्णों वाली डीपी आईडी के बाद 8 अंकों की क्लाइंट आईडी उदाहरण के लिए यदि आपकी डीपी आईडी है आईएन 300*** तथा क्लाइंट आईडी 12***** है तब आपकी यूजर आईडी है आईएन 300***12*****
ख) ऐसे सदस्य जिनके शेयर सीडीएसएल में डीमैट खाते में हैं	16 अंकों की बेनिफिशरी आईडी उदाहरण के लिए यदि आपकी बेनिफिशरी आईडी है 12***** तब आपकी यूजर आईडी है 12*****
ग) मूर्त रूप में शेयर धारण करने वाले सदस्यों के लिए	ईवीईएन संख्या के बाद कंपनी के साथ पंजीकृत फोलियो संख्या उदाहरण के लिए यदि फोलियो संख्या है 001*** तथा ईवीईएन है 101456 तब यूजर आईडी है 101456001***

5 आपके पासवर्ड का विवरण निम्नानुसार है:

क) यदि आप ई-वोटिंग के लिए पहले से ही पंजीकृत हैं तो आप लॉगिन करने एवं मतदान के लिए अपने मौजूदा पासवर्ड का प्रयोग कर सकते हैं।

ख) यदि आप एनएसडीएल ई-वोटिंग प्रणाली को पहली बार प्रयोग कर रहे हैं तो आपको अपना 'प्रारंभिक पासवर्ड', जो आपको सूचित किया गया था, को पुनः प्राप्त करना होगा। एक बार आपके द्वारा अपना 'प्रारंभिक पासवर्ड' पुनः प्राप्त कर लेने पर आपको 'प्रारंभिक पासवर्ड' दर्ज करना होगा और सिस्टम आपको अपना पासवर्ड बदलने के लिए बाध्य करेगा।

ग) अपना 'प्रारंभिक पासवर्ड' पुनः कैसे प्राप्त करें ?

i) यदि आपकी ई-मेल आईडी आपके डीमैट खाते में अथवा कंपनी के साथ पंजीकृत है, तो आपका 'प्रारंभिक पासवर्ड' आपकी ई-मेल आईडी पर भेज दिया जाएगा। अपने मेल बॉक्स में एनएसडीएल द्वारा भेजे गए ई-मेल को ढूँढ़ें। ई-मेल खोलें और अटैचमेंट अर्थात् पीडीएफ फाइल को खोलें। पीडीएफ फाइल को खोलने के लिए एनएसडीएल खाते के लिए 8 अंकों वाली क्लाइंट आईडी, सीडीएसएल खाते के लिए 8 अंकों वाली क्लाइंट आईडी अथवा मूर्त रूप में शेयर रखने पर फोलियो संख्या पासवर्ड है। पीडीएफ फाइल में 'यूजर आईडी' तथा आपका 'प्रारंभिक पासवर्ड' दिया गया है।

ii) यदि आपकी ई-मेल आईडी पंजीकृत नहीं है, आपका 'प्रारंभिक पासवर्ड' आपके डाक पते पर आपको भेज दिया जाएगा।

6. यदि आप 'प्रारंभिक पासवर्ड' पुनः प्राप्त करने में असमर्थ हैं अथवा यह आपको प्राप्त नहीं हुआ है अथवा अपना पासवर्ड भूल गए हैं:

क) "Forgot User Details/Password?" पर क्लिक करें (यदि आपके पास शेयर एनएसडीएल अथवा सीएसडीएल में डीमैट खाते में हैं) www.evoting.nsdl.com पर विकल्प उपलब्ध है।

ख) "Physical User Reset Password?" यदि आपके पास शेयर मूर्त रूप में हैं www.evoting.nsdl.com पर विकल्प उपलब्ध है।

ग) यदि अब भी उपरोक्त दो विकल्पों के द्वारा पासवर्ड प्राप्त करने में असमर्थ हैं तो आप अपने डीमैट खाता संख्या/फोलियो संख्या, अपना पैन संख्या, अपना नाम तथा अपना पंजीकृत पते का उल्लेख करते हुए evoting.nsdl.com पर अनुरोध भेज सकते हैं।

7. अपना पासवर्ड दर्ज करने के बाद चेक-बॉक्स में "Agree to Terms and conditions" पर टिक करें।

8. अब आपको "लॉगिन" बटन पर क्लिक करना होगा।

9. "लॉगिन" बटन क्लिक करने के बाद, ई-वोटिंग का होम पेज खुलेगा।

चरण 2 के विवरण निम्नानुसार हैं :

एनएसडीएल ई-वोटिंग प्रणाली पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना मतदान कैसे करें ?

1. चरण 1 पर सफलतापूर्वक लॉगिन करने के बाद आप ई-वोटिंग के होम पेज को देख पाएंगे। ई-वोटिंग पर क्लिक करें। उसके पश्चात् एक्टिव वोटिंग साइकिल्स पर क्लिक करें।
2. एक्टिव वोटिंग साइकिल्स पर क्लिक करने के बाद, आप सभी EVEN कंपनियों को देख पाएंगे जिनके आपके पास शेयर हैं तथा जिनके मतदान साइकिल सक्रिय स्थिति में हैं।
3. उस बैंक का "EVEN" चयन करें।
4. जैसे ही वोटिंग पेज खुलता है आप ई-वोटिंग के लिए तैयार हैं।
5. समुचित विकल्प अर्थात् सहमति अथवा असहमति का चयन करके, जितने शेयरों के लिए आप मतदान करना चाहते हैं, उतनी संख्या को सत्यापित/संशोधित करके अपना मतदान करें और "Submit" पर तथा "Confirm" जब दिखाई दे, पर क्लिक करें
6. पुष्टि करने के बाद "Vote cast successfully" संदेश दिखाई देगा।
7. आप किए गए मतदान का पुष्टिकरण पृष्ठ पर उपलब्ध प्रिंट विकल्प पर क्लिक करके प्रिंट ले सकते हैं।
8. एक बार संकल्प पर अपने मतदान की पुष्टि करने के बाद आपको अपने मत को संशोधित करने की अनुमति नहीं होगी।

शेयरधारकों के लिए सामान्य दिशानिर्देश

1. संस्थागत शेयरधारकों (अर्थात् व्यक्तियों, एचयूएफ, एनआरआई इत्यादि के अलावा) को विधिवत् अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता (ओं), जो मतदान के लिए अधिकृत हैं, के सत्यापित नमूना हस्ताक्षर के साथ संबंधित मण्डल संकल्प/प्राधिकार पत्र आदि की स्कैन प्रति (पीडीएफ/जेपीजी फॉर्मेट में) evoting@nsdl.co.in को प्रति संबोधित करते हुए संवीक्षक को amitguptacs@gmail.com पर ई-मेल द्वारा भेजनी आवश्यक है।
2. इस बात की जोरदार संस्तुति की जाती है कि किसी को भी अपना पासवर्ड न बताएं और अपने पासवर्ड को गुप्त रखने का यथासंभव प्रयास करें। सही पासवर्ड खण्ड में पांच असफल प्रयासों के बाद ई-वोटिंग वेबसाइट निष्क्रिय हो जाएगी। ऐसी स्थिति में आपको पासवर्ड रीसेट करने के लिए www.evoting.nsdl.com पर उपलब्ध विकल्प "Forgot User Details/Password?" अथवा Physical User Reset Password? का प्रयोग करना होगा।
3. किसी प्रकार की शंका होने पर आप www.evoting.nsdl.com के डाउनलोड खण्ड में उपलब्ध शेयरधारकों के लिए प्रायः पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू) तथा ई-वोटिंग यूजर मैनुअल देख सकते हैं अथवा टोल फ्री नंबर 1800-222-990 पर फोन कर सकते हैं अथवा evoting@nsdl.co.in पर अनुरोध भेज सकते हैं।
- VI. सदस्यों के मताधिकार बैंक की प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी में उनके शेयर के समानुपात में होंगे बशर्ते यह अंतिम तिथि **14 दिसंबर, 2018 को केन्द्र सरकार से इतर, समस्त मताधिकारों का अधिकतम दस प्रतिशत होगा।**
- VII. कोई भी व्यक्ति जो नोटिस भेजने के बाद बैंक के शेयर धारण करता है और बैंक का शेयरधारक बन जाता है तथा अंतिम तिथि अर्थात् 14 दिसंबर, 2018 को शेयर धारण करता है तो वह evoting@nsdl.co.in अथवा बैंक के रजिस्ट्रार लिंक इनटाइम इंडिया प्रा.लिमि. को delhi@linkintime.co.in पर अनुरोध भेज कर लॉगिन आईडी एवं पासवर्ड प्राप्त कर सकता है।
- VIII. ऐसे सदस्य भी ईजीएम में शामिल हो सकेंगे, जिन्होंने ईजीएम से पहले रिमोट ई-वोटिंग द्वारा मतदान कर लिया है किंतु वे पुनः मतदान करने के पात्र नहीं होंगे।
- IX. ऐसे व्यक्ति, जिनका नाम अंतिम तिथि को सदस्यों के रजिस्टर अथवा निक्षेपक (डिपॉजिटरी) द्वारा रखे गए लाभार्थी स्वामियों के रजिस्टर में दर्ज है, केवल वही रिमोट ई-वोटिंग सुविधा एवं ईजीएम में मतपत्र के माध्यम से मतदान करने हेतु पात्र होंगे।
- X. निष्पक्ष एवं पारदर्शी तरीके से मतदान एवं रिमोट ई-वोटिंग की संवीक्षा हेतु बैंक के सदस्यों को सुविधा प्रदान करने के लिए श्री अमित गुप्ता, कार्यरत कंपनी सचिव (सी.पी.सं. 4682) को संवीक्षक नियुक्त किया गया है।
- XI. असाधारण आम बैठक में मतदान किए जाने वाले संकल्प पर चर्चा के बाद अध्यक्ष ईजीएम में उपस्थित सभी सदस्यों का, जिन्होंने रिमोट ई-वोटिंग सुविधा का लाभ उठाते हुए अपना मत नहीं दिया है, संवीक्षक की सहायता से 'मतपत्र' द्वारा मतदान की अनुमति देंगे।
- XII. ईजीएम में मतदान की समाप्ति के बाद संवीक्षक पहले बैठक में डाले गए मत की गिनती करेंगे तथा उसके बाद कम-से-कम ऐसे दो गवाहों जो बैंक के कार्मिक नहीं हैं, के समक्ष रिमोट ई-वोटिंग द्वारा डाले गए मतों को खोलेंगे तथा ईजीएम की

समाप्ति के 48 घंटे के भीतर पक्ष या विपक्ष, यदि कोई हो, में डाले गए कुल मतों की समेकित अंकेक्षक रिपोर्ट को अध्यक्ष या उनके द्वारा लिखित में प्राधिकृत किसी व्यक्ति के समक्ष प्रस्तुत करेगा जो इस पर प्रतिहस्ताक्षर करेंगे तथा तत्काल मतदान का परिणाम घोषित करेगा।

XIII. अध्यक्ष अथवा उनके द्वारा लिखित में प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा घोषित परिणामों को संवीक्षक की रिपोर्ट के साथ परिणाम घोषित होते ही अविलंब बैंक की वेबसाइट www.obcindia.co.in तथा एनएसडीएल की वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा। परिणामों को एनएसई तथा बीएसई को भी अविलंब अग्रेषित कर दिया जाएगा।

अन्य जानकारी

- क) शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे यह नोट करें कि सूचना की प्रतियां असाधारण आम बैठक के स्थल पर वितरित नहीं की जाएंगी अतः शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे उनके पंजीकृत और/अथवा ई-मेल पतों पर बैंक द्वारा भेजी गई सूचना की प्रति अथवा उसका सार लेकर आए।
- ख) हरित पहल के समर्थन में, बैंक ने उन सभी शेयरधारकों को जिन्होंने सेबी (एलओआरडी) विनियमों, 2015 के विनियम 36 के प्रावधानों के अनुरूप अपने निक्षेपागार सहभागियों/रजिस्ट्रार और बैंक के शेयर अंतरण एजेंट के पास अपनी ई-मेल आईडी पंजीकृत की है असाधारण आम बैठक की सूचना की सॉफ्ट प्रति भेजने का निर्णय लिया है।
- ग) शेयरधारक यह भी नोट कर सकते हैं कि असाधारण आम बैठक की सूचना बैंक की वेबसाइट www.obcindia.co.in पर भी उपलब्ध होगी ताकि शेयरधारक उसे डाउनलोड कर सकें। ई-संप्रेषण के लिए पंजीकरण करने के बाद भी, यदि शेयरधारक अनुरोध करते हैं तो वे डाक द्वारा ऐसी सूचना की हार्ड प्रति भी निःशुल्क प्राप्त करने के पात्र हैं। किसी भी सूचना के लिए, शेयरधारक बैंक की संबंधित ई-मेल आईडी mbd@obc.co.in पर अथवा डाक द्वारा अनुरोध भेज सकते हैं।
- घ) **शेयरों का अमूर्तिकरण** : ऐसे शेयरधारक जिनके पास शेयर अभी भी मूर्त रूप में है उनसे अनुरोध है कि वे दिनांक 15.12.2018 से शेयरों को मूर्त रूप में अंतरित करने से बाधित करने संबंधी सेबी के दिशानिर्देशों के अनुसार यथाशीघ्र अपने शेयर अमूर्तिकृत करा लें।
- ङ) **पता बदलना अथवा ई-मेल आईडी अद्यतित करना** : पता अथवा ई-मेल आईडी बदलने के लिए, शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे पते/ई-मेल आईडी में बदलाव की सूचना :
- यदि उनके पास शेयर अमूर्त रूप में है तो अपने संबंधित निक्षेपागार सहभागी को दें
 - यदि उनके पास शेयर मूर्त रूप में है तो बैंक के रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण एजेंट (आरटीए) यथा लिंक इनटाइम इंडिया प्रा. लि. को दें

पत्राचार के लिए रजिस्ट्रार एवं शेयर अंतरण एजेंट का पता

मै. लिंक इनटाइम इण्डिया प्रा.लिमि.

नोबल हाइट्स, प्रथम तल, प्लॉट नं. 2, सी-1 ब्लॉक एलएससी,

सावित्री मार्केट के समीप, जनकपुरी,

नई दिल्ली-110058

टेलीफोन नंबर.: +91-11-41410592/793794

फैक्स: +91-11-4141 0591

ई-मेल आईडी: delhi@linkintime.co.in

वेबसाइट : www.linkintime.co.in

किसी सहायता के लिए निवेशक निम्न पते पर निवेशक शिकायत कक्ष से भी संपर्क कर सकते हैं:

ओरियन्टल बैंक ऑफ़ कॉमर्स

कॉरपोरेट कार्यालय – मर्चेंट बैंकिंग प्रभाग

द्वितीय तल, प्लॉट नं. 5,

सेक्टर-32, इंस्टीट्यूशनल एरिया, गुरुग्राम-122001

टेलीफोन नंबर 0124-4126281 / 285

ई-मेल : mbd@obc.co.in

वेबसाइट : www.obcindia.co.in

- च) जिन शेयरधारकों के पास नामों के समान क्रम में, एक जैसे नामों में अथवा संयुक्त नामों में एक से अधिक फोलियो के शेयर मूर्त रूप में हैं, उनसे अनुरोध है कि वे इन्हें एक ही फोलियो में समेकित करने हेतु अपने शेयर सर्टिफिकेट बैंक के आरटीए को भेजें।
- छ) शेयरधारक कृपया नोट करें कि बैठक में कोई उपहार/उपहार कूपन नहीं बांटे जाएंगे।
- ज) कड़े सुरक्षा कारणों से ऑडिटोरियम के अंदर ब्रीफकेस, खाद्य पदार्थ तथा अन्य सामान ले जाने की अनुमति नहीं है। अतः बैठक में भाग लेने वाले सदस्यों को सूचित किया जाता है कि वे अपने सामान की सुरक्षा हेतु स्वयं अपनी व्यवस्था करें।

व्याख्यात्मक कथन

अपनत्व की भावना को बढ़ाने और बैंक के कर्मचारियों को प्रोत्साहित करने तथा अनुभवी व्यक्तियों को पुरस्कृत तथा सम्मानित करने के उद्देश्य से, प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी और कार्यकारी निदेशकों (पात्र कर्मचारी) सहित भारत व विदेशों में अपने स्थायी कर्मचारियों के लिए बैंक नए इक्विटी शेयर जारी करने का प्रस्ताव रखता है। प्रस्तावित इश्यू दीर्घकालिक संसाधनों की बढ़ती मांग को भी पूरा करेगा और बासेल III आवश्यकताओं के अनुरूप बैंक की पूंजी पर्याप्तता को सुदृढ़ करेगा।

सेबी एसबीईबी विनियम, 2014 के अनुपालन में, बैंक ओरियन्टल बैंक ऑफ़ कॉमर्स कर्मचारी शेयर क्रय योजना नामक एक योजना ("ओबीसी-ईएसपीएस") बना रही है। योजना मण्डल की एक समिति द्वारा कार्यान्वित की जाएगी और लागू नियमों के अनुरूप होगी।

वर्ष 2018-19 के लिए बैंक की पूंजी जुटाने की योजना के अनुरूप, निदेशक मण्डल ने ओरियन्टल बैंक ऑफ़ कॉमर्स कर्मचारी शेयर क्रय योजना ("ओबीसी-ईएसपीएस") के द्वारा बैंक के कर्मचारियों को ₹10.00 प्रति शेयर अंकित मूल्य वाले 5 करोड़ नए इक्विटी शेयर एक या अधिक अंशों में इस तरह से जारी करके कि भारत सरकार की शेयरधारिता 52.00% से कम न हो, का प्रस्ताव करने का निर्णय लिया है जो कि भारत सरकार/सेबी/अन्य विनियामक एजेंसियों इत्यादि द्वारा आवश्यक/विनियामक अनुमोदन के अध्याधीन है।

दीर्घकालिक संसाधन जुटाने के अतिरिक्त इश्यू का उद्देश्य है:

- (I) बैंक के कर्मचारियों द्वारा दिए गए योगदान को सम्मानित और पुरस्कृत करने तथा बैंक के दीर्घकालिक हितों के साथ कर्मचारियों के हितों को मिलाने; और
- (II) बैंक में स्वामित्व हित अर्जित करने का साधन प्रदान करके पात्र कर्मचारियों में इक्विटी स्वामित्व को प्रोत्साहित करना जो कि कर्मचारियों में अपनेपन और स्वामित्व की भावना को बढ़ावा देगा।
- (III) कर्मचारियों द्वारा सृजित राशि को साझा करते हुए कर्मचारियों को आकर्षित करना, बनाए रखना और उन्हें पुरस्कृत करना। ओबीसी-ईएसबीएस के अंतर्गत जारी किए जाने हेतु प्रस्तावित नए इक्विटी शेयर बैंक के वर्तमान इक्विटी शेयर लाभांश सहित, यदि बैंक द्वारा लाभांश घोषित किया जाता है, से सभी प्रकार के बराबर श्रेणी में होंगे।

सेबी (सूचीकरण बाध्यता एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम 2015 के विनियम 41(4) और सेबी (शेयर आधारित कर्मचारी लाभ) विनियम 2014 के विनियम 6 के अनुपालन में, बैंक पात्र कर्मचारियों को नए इक्विटी शेयर जारी एवं आबंटित करने के लिए विशेष संकल्प लाने का प्रस्ताव प्रस्तुत कर रहा है।

सेबी के परिपत्र सं. सीआईआर/सीएफ़डी/नीति कक्ष/2015 दिनांक 16 जून 2015, के अनुसरण में उसमें उल्लिखित अतिरिक्त प्रकटीकरण निम्नानुसार है:

क योजना का संक्षिप्त विवरण :

बैंक सभी पात्र कर्मचारियों को ओरियन्टल बैंक ऑफ़ कॉमर्स कर्मचारी शेयर क्रय योजना ("ओबीसी-ईएसपीएस") के अंतर्गत ₹10.00 प्रति शेयर अंकित मूल्य वाले 5 (पांच) करोड़ नए इक्विटी शेयर इस तरह से जारी करने का प्रस्ताव प्रस्तुत करता है कि भारत सरकार की शेयरधारिता 52.00% से कम न हो, जो कि प्रस्ताव देने के समय लागू विधियों, नियमों, विनियमों और दिशानिर्देशों के अध्याधीन है।

ख अनुमत किए जाने वाले शेयरों की कुल संख्या:

"ओबीसी-ईएसपीएस" के अंतर्गत पात्र कर्मचारियों को समग्र रूप से 5,00,00,000 (पांच करोड़) तक नए इक्विटी शेयर जारी करने का प्रस्ताव है। अधिशेष इक्विटी पूंजी को प्रभावित करने वाले कारण यथा स्प्लिट, पूंजीकरण, सामामेलन, विनिमय अथवा अन्य परिवर्तन की वजह से बैंक की इक्विटी पूंजी में परिवर्तन की स्थिति में ईएसपीएस के तहत जारी किए जाने वाले अधिकतम शेयरों में समूचित समायोजन किया जाएगा।

- ग ओबीसी ईएसपीएस में भागीदारी करने और लाभार्थी बनने के पात्र कर्मचारियों के वर्गों की पहचान:**
प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी और कार्यकारी निदेशक(कों) सहित भारत अथवा भारत से बाहर कार्य कर रहे बैंक के सभी स्थायी कर्मचारी।
- घ निहित करने की आवश्यकता और निहित करने की अवधि:**
लागू नहीं।
- ङ अधिकतम अवधि [सेबी (शेयर आधारित कर्मचारी लाभ) विनियम, के विनियम 18(1) और 24(1) के अध्याधीन जैसा भी मामला हो] जिसमें विकल्प/एसएआर/लाभ निहित होगा:**
लागू नहीं।
- च प्रयोग मूल्य, एसएआर मूल्य, क्रय मूल्य अथवा मूल्य निर्धारित करने का सूत्र :**
प्रस्तावित मूल्य/क्रय मूल्य, प्रस्ताव देने के समय निदेशक मण्डल/मण्डल की समिति द्वारा निर्धारित किया जाएगा। योजना के अंतर्गत पात्र कर्मचारियों को आबंटित किए जाने वाले इक्विटी शेयर, उस तिथि जिस दिन मण्डल की समिति ने प्रस्ताव/क्रय मूल्य को निर्धारित किया है से पिछले दो सप्ताह की अवधि के दौरान उच्चतम ट्रेडिंग वॉल्यूम के साथ स्टॉक एक्सचेंज में कोट किए गए इक्विटी शेयर के परिमाण भारित औसत मूल्य (वीडबल्यूएपी) के साप्ताहिक उच्च एवं न्यून के औसत के अधिकतम 25% छूट पर दिए जाएंगे।
किसी भी स्थिति में ईएसपीएस के तहत इक्विटी शेयरों को इक्विटी शेयर के अंकित मूल्य अर्थात ₹10 प्रति शेयर से कम मूल्य पर आबंटित नहीं किया जाएगा।
- छ कार्यान्वयन अवधि और कार्यान्वयन की प्रक्रिया:**
निदेशक मण्डल/समिति के निर्णय के अनुसार जिस अवधि के दौरान शेयर जारी किया जाएगा वह कार्यान्वयन अवधि होगी। कार्यान्वयन की प्रक्रिया में, अन्य बातों के साथ-साथ, पात्र कर्मचारियों को प्रस्ताव देना, आवेदन प्राप्त करना सब्सक्रिप्शन राशि और योजना के अनुरूप शेयर आबंटित करना शामिल है।
- ज प्रस्तावित ईएसपीएस हेतु कर्मचारियों की पात्रता निर्धारित करने के लिए मूल्यांकन प्रक्रिया:**
प्रस्ताव की तिथि तक पात्र कर्मचारी लागू विनियामक आवश्यकताओं और दिशानिर्देशों के अध्याधीन भागीदारी करने के पात्र होंगे।
- झ प्रति कर्मचारी समग्र रूप से जारी किये जाने वाले विकल्पों की अधिकतम संख्या, एसएआर, शेयर, जैसा भी मामला हो:**
बैंक समग्र रूप से 5,00,00,000 (पांच करोड़) नए इक्विटी शेयर जारी करने का प्रस्ताव करता है। योजना के अंतर्गत प्रति कर्मचारी जारी किए जाने हेतु प्रस्तावित इक्विटी शेयरों की अधिकतम संख्या निदेशक मण्डल/मण्डल की समिति द्वारा निर्धारित की जाएगी जो जारी करने के पश्चात बैंक की प्रदत्त पूंजी के 1.00% से अधिक नहीं होगी।
- ञ योजना के अंतर्गत प्रति कर्मचारी दिए जाने वाले लाभों की अधिकतम संख्या:**
जैसा कि उपर्युक्त पैरा(झ) में निर्दिष्ट किया गया है योजना के अंतर्गत कर्मचारियों को जारी किए गए इक्विटी शेयरों के अतिरिक्त, कर्मचारियों को कोई अन्य लाभ देने का प्रस्ताव नहीं है।
- ट क्या योजना(एं) बैंक द्वारा प्रत्यक्ष रूप से अथवा ट्रस्ट के माध्यम से कार्यान्वित और नियंत्रित की जाएगी:**
प्रस्तावित योजना बैंक द्वारा प्रत्यक्ष रूप से कार्यान्वित और नियंत्रित की जाएगी।
- ठ क्या योजना(ओं) में कंपनी द्वारा नए शेयर जारी करना अथवा ट्रस्ट द्वारा द्वितीयक अधिग्रहण अथवा दोनों शामिल है:**
प्रस्तावित योजना के अंतर्गत, बैंक सीधे पात्र कर्मचारियों को नए इक्विटी शेयर जारी करेगा।
- ड योजना(ओं) के कार्यान्वयन के लिए कंपनी द्वारा ट्रस्ट को प्रदान किये जाने वाले ऋण की राशि, इसकी अवधि, उपयोग, चुकौती की शर्तें इत्यादि:**
प्रस्तावित योजना के अंतर्गत, बैंक के नए इक्विटी शेयर सीधा पात्र कर्मचारियों को जारी करने का प्रस्ताव है और इसलिए, ट्रस्ट बनाना अथवा ट्रस्ट को ऋण प्रदान करना लागू नहीं है।
- ढ योजना(ओं) के लिए ट्रस्ट द्वारा किए जाने वाले द्वितीयक अधिग्रहण का अधिकतम प्रतिशत (सेबी विनियमों के अंतर्गत निर्दिष्ट सीमा के अधीन)**
लागू नहीं

ण इससे संबंधित कथन कि बैंक सेबी (एसबीईबी) विनियमों के विनियम 15 में विनिर्दिष्ट लेखांकन नीतियों का पालन करेगा:

बैंक समय-समय पर लागू सेबी (एसबीईबी) विनियमों के विनियम 15 में विनिर्दिष्ट लेखांकन नीतियों का पालन करेगा।

त वह प्रणाली जिसका उपयोग बैंक अपने विकल्पों अथवा एसएआर का मूल्यांकन करने के लिए करेगा:

प्रस्तावित योजना के अंतर्गत, बैंक का नए इक्विटी शेयर जारी करने का प्रस्ताव है और इसलिए, विकल्पों अथवा एसएआर का मूल्यांकन लागू नहीं है।

थ अनुपालनात्मक कथन, यदि लागू हो:

यदि बैंक आंतरिक मूल्य का उपयोग करके शेयर आधारित कर्मचारी लाभ को व्यय करने के विकल्प का चयन करता है, गणना किए गए कर्मचारी क्षतिपूर्ति लागत और कर्मचारी क्षतिपूर्ति लागत में अंतर जिसे तब स्वीकार किया जाएगा यदि इसने उचित मूल्य का उपयोग किया था, इसे निदेशकों की रिपोर्ट में प्रकट किया जाएगा और इस अंतर का लाभ एवं प्रति शेयर (ईपीएस) अर्जित की गई राशि पर प्रभाव को भी निदेशकों की रिपोर्ट में प्रकट किया जाएगा।

यदि लागू हो, बैंक उपर्युक्त आवश्यकताओं का अनुपालन करेगा।

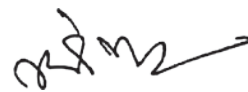
द. लॉक-इन पीरियड:

वर्तमान ईएसपीएस के अंतर्गत जारी किए जाने हेतु प्रस्तावित नए इक्विटी शेयर सेबी (एसबीईबी) विनियमों के अनुरूप आबंटित किए जाने की तिथि से न्यूनतम एक वर्ष की अवधि के लिए लॉक-इन रहेंगे।

निदेशक मण्डल प्रस्तावित विशेष संकल्प को पारित करने की संस्तुति करता है।

बैंक के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी, कार्यकारी निदेशक और अन्य मुख्य प्रबंधकीय व्यक्ति (केएमपी) उपरोक्त संकल्प से संबंधित अथवा उसमें हित रखने वाले हैं क्योंकि यह उनके लाभ के निमित्त है। अन्य निदेशक संकल्प से संबंधित अथवा उसमें हित रखने वाले नहीं हैं।

निदेशक मण्डल के आदेश द्वारा
कृते ओरियन्टल बैंक ऑफ़ कॉमर्स



मुकेश कुमार जैन

प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी

स्थान : गुरुग्राम

दिनांक : 17.11.2018



ऑरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स

प्रधान कार्यालय: हर्ष भवन, ई-ब्लॉक, कनाट प्लेस, नई दिल्ली-110001
कॉरपोरेट कार्यालय: प्लॉट सं. 5, सेक्टर-32, इंस्टीट्यूशनल एरिया, गुरुग्राम-122001

उपस्थिति पर्ची

(बैठक स्थल पर प्रवेश के समय प्रस्तुत की जानी है)

दिनांक : 21 दिसंबर, 2018

समय : 10.00 बजे प्रातः

स्थान : नई दिल्ली

पंजीकृत फोलियो सं.		डीपी आईडी एवं ग्राहक आईडी	
(यदि शेयर अमूर्त नहीं है)		(यदि शेयर अमूर्त है)	
शेयरधारक का नाम (स्पष्ट अक्षरों में)			
शेयरों की संख्या			
उपस्थित शेयरधारक/प्रॉक्सी/अधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर			

मैं एतद्वारा दिनांक : 21 दिसंबर, 2018 को, पीएचडी चैंबर ऑफ कॉमर्स एण्ड इंडस्ट्री, पीएचडी हाउस, 4/2, सिरी इंस्टीट्यूशनल एरिया, अगस्त क्रांति मार्ग, नई दिल्ली -110016 में आयोजित बैंक की असाधारण आम बैठक में अपनी उपस्थिति दर्ज करता हूँ।

शेयरधारक/प्रॉक्सी/प्राधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर	
--	--



ऑरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स

प्रधान कार्यालय: हर्ष भवन, ई-ब्लॉक, कनाट प्लेस, नई दिल्ली-110001
कॉरपोरेट कार्यालय: प्लॉट सं. 5, सेक्टर-32, इंस्टीट्यूशनल एरिया, गुरुग्राम-122001

प्रवेश-पत्र

(बैठक की कार्यवाही के दौरान अपने पास रखा जाए)

दिनांक : 21 दिसंबर, 2018

समय : 10.00 बजे प्रातः

स्थान : नई दिल्ली

पंजीकृत फोलियो सं.		डीपी आईडी एवं ग्राहक आईडी	
(यदि शेयर अमूर्त नहीं है)		(यदि शेयर अमूर्त है)	
शेयरधारक का नाम (स्पष्ट अक्षरों में)			
शेयरों की संख्या			
उपस्थित शेयरधारक/प्रॉक्सी/अधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर			



ऑरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स

प्रधान कार्यालय: हर्ष भवन, ई-ब्लॉक, कनाट प्लेस, नई दिल्ली-110001
कॉरपोरेट कार्यालय: प्लॉट सं. 5, सेक्टर-32, इंस्टीट्यूशनल एरिया, गुरुग्राम-122001

(मतपत्र जारी करने के लिए मतदान काउंटर पर जमा करें)

दिनांक : 21 दिसंबर, 2018

समय : 10.00 बजे प्रातः

स्थान : नई दिल्ली

पंजीकृत फोलियो सं.		डीपी आईडी एवं ग्राहक आईडी	
(यदि शेयर अमूर्त नहीं है)		(यदि शेयर अमूर्त है)	
शेयरधारक का नाम (स्पष्ट अक्षरों में)			
शेयरों की संख्या			
उपस्थित शेयरधारक/प्रॉक्सी/अधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर			

शेयरधारकों/प्रॉक्सी धारकों/अधिकृत प्रतिनिधियों से अनुरोध है कि वे बैठक स्थल पर प्रवेश के लिए उपस्थिति पर्ची-सह-प्रवेश पास- सह-मतपत्र पास के साथ-साथ बैंक में पंजीकृत उनके नमूना हस्ताक्षर के अनुसार उपरोक्त उपस्थिति स्लिप प्रस्तुत करें। यद्यपि प्रवेश, सत्यापन/जांच के अधीन होगा, जैसा भी आवश्यक समझा जाएगा। किसी भी परिस्थिति में, कोई डुप्लीकेट उपस्थिति पर्ची-सह-प्रवेश पास-सह-मतपत्र-पास मीटिंग हॉल के प्रवेश द्वार पर जारी नहीं किया जाएगा।



ऑरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स

प्रधान कार्यालय: हर्ष भवन, ई-ब्लॉक, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली-110001
कॉरपोरेट कार्यालय: प्लॉट सं. 5, सेक्टर-32, इंस्टीट्यूशनल एरिया, गुरुग्राम-122001

प्रॉक्सी फार्म : 'बी'

(शेयरधारक द्वारा भरा और हस्ताक्षरित किया जाए)

पंजीकृत फोलियो सं.		डीपी आईडी	
		ग्राहक आईडी	
(यदि शेयर अमूर्त नहीं है)		(यदि शेयर अमूर्त है)	

मैं / हम.....निवासी.....
जिला..... राज्य....., **ऑरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स** का
शेयरधारक होने के नाते, एतद्वारा श्री / श्रीमती.....निवासी.....
.....जिला..... राज्य.....को
अथवा उनकी अनुपस्थिति में, श्री / श्रीमती.....निवासी.....
.....जिला..... राज्य.....को,
दिनांक : शुक्रवार, 21 दिसंबर, 2018 को पीएचडी चेंबर ऑफ कॉमर्स एण्ड इंडस्ट्री, पीएचडी हाउस, 4 / 2, सिरी इंस्टीट्यूशनल एरिया,
अगस्त क्रांति मार्ग, नई दिल्ली-110016 में आयोजित होने वाली, **ऑरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स** के शेयरधारकों की असाधारण
आम बैठक में अथवा ऐसी स्थगित बैठक में, मेरी / हमारी ओर से प्रॉक्सी मतदान करने के लिए अधिकृत करता हूं / करते हैं।

दिनांक, 2018 को हस्ताक्षरित

कृपया रसीदी
टिकट चिपकाएं

प्रॉक्सी के हस्ताक्षर

प्रथम नामित/एकल शेयरधारक के हस्ताक्षर

नाम

पता

.....

प्रॉक्सी फॉर्म पर हस्ताक्षर एवं इसे प्रस्तुत करने संबंधी अनुदेश

1	प्रॉक्सी लिखत वैध होने के लिए यह जरूरी है कि,	
	क.	व्यक्तिगत शेयरधारक के मामले में, यह उसके द्वारा या लिखित रूप में विधिवत प्राधिकृत उसके अटर्नी द्वारा हस्ताक्षरित हो।
	ख.	संयुक्त धारकों के मामले में, सदस्य रजिस्टर में प्रथम नामित शेयरधारक द्वारा या लिखित रूप में विधिवत् प्राधिकृत उसके अटर्नी द्वारा हस्ताक्षरित हो।
	ग.	किसी कॉरपोरेट निकाय के मामले में, इसकी सामान्य मोहर, यदि कोई है, के साथ उसके अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित एवं निष्पादित किया जाए या अन्यथा लिखित रूप में विधिवत प्राधिकृत उसके अटर्नी द्वारा हस्ताक्षरित हो तथा फार्म बी में हो और विधिवत् रूप से मुहर लगी हो।
2	प्रॉक्सी की कोई लिखत, जिस पर शेयरधारक के पर्याप्त हस्ताक्षर होने चाहिए, जो किसी कारण से अपना नाम लिखने में असमर्थ है, तो उसकी संलग्न टिप्पणी तभी वैध होगी जब यह किसी न्यायाधीश, मजिस्ट्रेट अथवा उप-रजिस्ट्रार बीमा अथवा अन्य सरकारी राजपत्रित अधिकारी अथवा ओरियन्टल बैंक ऑफ़ कॉमर्स या अन्य किसी राष्ट्रीयकृत बैंक के अधिकारी द्वारा अधिप्रमाणित हो।	
3	प्रॉक्सी के साथ	
	क.	मुख्तारनामा या अन्य प्राधिकार (यदि कोई है) जिसके तहत यह हस्ताक्षरित किया गया अथवा
	ख.	नोटरी पब्लिक या किसी मजिस्ट्रेट द्वारा प्रमाणित उस मुख्तारनामे या प्राधिकार की प्रति असाधारण आम बैठक की तारीख से अधिकतम चार दिन से पहले अर्थात् शनिवार, 15 दिसंबर, 2018 को बैंक के कार्यालय समय की समाप्ति अर्थात् सायं 5:00 बजे तक या उसके पूर्व बैंक के प्रधान कार्यालय, अथवा कॉरपोरेट कार्यालय में जमा की जानी चाहिए।
4	कोई भी प्रॉक्सी लिखत तब तक वैध नहीं होगी जब तक कि यह फॉर्म 'बी' में न हो और उस पर विधिवत् मुहर न लगी हो।	
5	बैंक में जमा की गई प्रॉक्सी लिखत अप्रतिहस्तांतरणीय एवं अंतिम होगी।	
6	यदि प्रॉक्सी लिखत वैकल्पिक रूप में दो प्राप्तिकर्ताओं के पक्ष में मंजूर की गई तो एक से अधिक फॉर्म निष्पादित नहीं किया जाएगा।	
7	शेयरधारक, जिसने प्रॉक्सी लिखत निष्पादित की है, वह उस असाधारण आम बैठक में व्यक्तिगत रूप से मतदान करने हेतु अधिकृत नहीं होगा, जिस बैठक से ऐसा लिखत संबंधित है।	
8	ओरियन्टल बैंक ऑफ़ कॉमर्स के किसी कर्मचारी अथवा अधिकारी को विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि या प्रॉक्सी के रूप में नियुक्त नहीं किया जाएगा।	
9	प्रॉक्सी फार्म में किसी भी प्रकार के संशोधन को विधिवत रूप से प्रमाणित किया जाए।	



ORIENTAL BANK OF COMMERCE

Head Office: Harsha Bhawan, E-Block, Connaught Place, New Delhi – 110001

Corporate Office: Plot No.5, Sector-32, Institutional Area, Gurugram – 122001

NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

NOTICE IS HEREBY GIVEN pursuant to Regulation 57 of the Oriental Bank of Commerce (Shares and Meetings) Regulations, 1998 that an Extraordinary General Meeting of the Shareholders of ORIENTAL BANK OF COMMERCE will be held on Friday, the 21st December 2018 at 10.00 a.m. at PHD Chamber of Commerce and Industry, PHD House, 4/2, Siri Institutional Area, August Kranti Marg, New Delhi – 110016, to transact the following business:

To create, grant, offer, issue and allot up to 5,00,00,000 (Five crore) new equity shares of face value of ₹10/- (Rupees Ten only) each, ranking *pari passu* with the existing equity shares of the Bank for all purpose and in all respects, including payment of dividend, under Employee Stock Purchase Scheme (hereinafter referred to as “OBC-ESPS”) in one or more tranches, at such price or prices, and on such terms and conditions as may be decided by the Board/Committee in its absolute discretion and to consider and if thought fit, pass with or without modification(s) the following as Special Resolution(s):

"RESOLVED THAT pursuant to the provisions of The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1980 ("The Act"), The Nationalized Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1980 ("The Scheme") and Oriental Bank of Commerce (Shares and Meetings) Regulations 1998 ("OBC Regulations"), as amended from time to time and subject to the approvals, consents, permissions and sanctions, if any, of the Reserve Bank of India ("RBI"), the Government of India ("GOI"), the Securities and Exchange Board of India ("SEBI"), Stock Exchange (s) in which Bank's equity shares are listed, wherever applicable and/or any other authority as may be required in this regard and subject to such terms, conditions and modifications thereto as may be prescribed by them in granting such approvals and which may be agreed to by the Board of Directors of the Bank and subject to the provisions of SEBI (Share Based Employee Benefits) Regulations, 2014, as amended up to date (hereinafter referred to as SBEB Regulations), read with SEBI Circular CIR/CFD/Policy Cell / 2 / 2015 dated June 16, 2015, Securities contracts (Regulations) Act, 1956 including Securities contracts (Regulations) rules, 1957 as amended, and guidelines, if any, prescribed by the RBI, SEBI, and all other relevant authorities, notifications/circulars and clarifications under the Banking Regulation Act, 1949, the Securities and Exchange Board of India Act, 1992, and all other applicable laws from time to time and subject to the provisions of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 [SEBI (LODR)] as amended upto date, Uniform Listing Agreement entered into by the Bank with the Stock Exchanges namely BSE Limited (BSE) and the National Stock Exchange of India Limited (NSE) and subject to any applicable approval (s), permission (s) and sanction (s), at any stage, of any authority and subject to any condition (s) and modification (s) as may be prescribed or imposed by such authorities while granting such approval(s), permission (s) and sanction (s) and which may be agreed to and accepted by the Board of Directors of the Bank, the consent of the shareholders of the Bank be and is hereby accorded to the Board of Directors of the Bank (hereinafter referred to as "the Board" which shall be deemed to include a Committee which the Board may have constituted or / may constitute, to exercise its powers including the powers conferred by this resolution) to create, grant, offer, issue and allot, in one or more tranches, to such employees, whether working in India or outside India, which expression shall include the Managing Director & Chief Executive Officer and Executive Director (s) of the Bank ("The Employees"), as may be decided by the Board, aggregating up to 5,00,00,000 (Five Crore) equity shares of face value of ₹10/- (Rupees Ten only) each, ranking *pari passu* with the existing equity shares of the Bank for all purposes and in all respects, including payment of dividend, under an Employee Share Purchase Scheme (hereinafter referred to as "OBC-ESPS"), at such price or prices, and on such terms and conditions as may be deemed appropriate by the Board/Committee thereof in its absolute discretion in such a way that Government of India holding does not come below 52.00%.

"RESOLVED FURTHER THAT the Bank shall conform to the accounting policies as specified in Regulation 15 of the SEBI (Share Based Employee Benefits) Regulations, 2014 or any statutory modification (s), amendment (s) or re-enactment thereof."

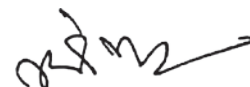
"RESOLVED FURTHER THAT the Board be and is hereby authorized to take necessary steps for listing of the equity shares issued and allotted under the "OBC-ESPS", on the stock exchanges where the shares of the Bank are listed, as per the terms and conditions of the uniform listing agreements entered into with the stock exchanges and other applicable guidelines, rules and regulations."

"RESOLVED FURTHER THAT the Board be and is hereby authorized to implement, formulate, evolve, decide upon and bring into effect the "OBC-ESPS" on such terms and conditions as may be decided by the Board and to make any modification (s), change (s), variation (s), alteration (s) or revision (s) in the terms and conditions of the "OBC- ESPS", from time to time, including but not limited to, amendment (s) with respect to price, period, eligibility criteria or to suspend, withdraw, terminate or revise the "OBC-ESPS" in such manner as the Board may determine in its sole discretion and also to settle all questions, difficulties or doubts that may arise in relation to the implementation of the "OBC-ESPS" and to the shares to be issued pursuant to the proposed "OBC-ESPS" without being required to seek any further consent or approval of the Shareholders or otherwise to the end and intent that the Shareholders shall be deemed to have given their approval there to expressly by authority of this resolution."

"RESOLVED FURTHER THAT the Board be and is hereby authorized to delegate all or any of the powers herein conferred on it, to the Committee(s) of Directors, the Managing Director & Chief Executive Officer or Executive Director (s) or such other officer (s) of the Bank as it may deem fit to give effect to the aforesaid Resolutions in compliance with the SEBI (Share Based Employee Benefits) Regulations, 2014 and other applicable laws, rules and regulations."

By order of the Board of Directors

For ORIENTAL BANK OF COMMERCE



Mukesh Kumar Jain

Managing Director & CEO

Place: Gurugram

Date: 17.11.2018

NOTES:

1. Explanatory Statement

The Explanatory Statement setting out the material facts in respect of the business to be transacted at the meeting is annexed hereto.

2. Appointment of Proxy

A SHAREHOLDER ENTITLED TO ATTEND AND VOTE AT THE MEETING, IS ALSO ENTITLED TO APPOINT A PROXY TO ATTEND AND VOTE INSTEAD OF HIMSELF / HERSELF, AND SUCH A PROXY NEED NOT BE A SHAREHOLDER OF THE BANK. However, the proxy so appointed will not have any right to speak at the Meeting. The proxy form, in order to be effective, must be received by the Bank at Head Office or Corporate Office of the Bank, **not less than FOUR DAYS** before the date of the meeting, i.e., on or before the closing hours of the Bank at 5.00 p.m. on Saturday, 15th December 2018.

Please note that no person shall be appointed as a proxy who is an officer or an employee of the Bank as per the provisions of OBC Regulations.

3. Appointment of an Authorised Representative

No person shall be entitled to attend or vote at the Extraordinary General Meeting as a duly authorised representative of a Company or any Body Corporate which is a shareholder of the Bank, unless a copy of the resolution appointing him/her as a duly authorised representative, certified to be true copy by the Chairman of the meeting at which it was passed has been deposited at Head Office or Corporate Office of the Bank, **not less than FOUR DAYS** before the date of the Meeting i.e., on or before the closing hours of the Bank at 5.00 p.m. on Saturday, 15th December 2018.

Please note that no person shall be appointed as an authorised representative who is an officer or an employee of the Bank as per the provisions of OBC Regulations.

4. Attendance Slip - Cum - Entry Pass-Cum Ballot Paper Pass

For the convenience of the shareholders, Attendance Slip-cum-Entry Pass-cum- Ballot Paper pass is annexed to this Notice. Shareholders / Proxy holders / Authorized Representatives of Shareholders have an option to cast their votes by using e-voting platform. Those who do not exercise e-voting facility can cast their votes at voting to be conducted at the venue of the meeting on the date of EGM. Shareholders / Proxy holders / Authorized Representatives are requested to verify the details and fill in blanks, if any and affix their signatures at the space provided therein and surrender the same at the venue of the meeting. Proxy holders / Authorized Representatives of shareholders should state on the Attendance Slip-cum-Entry Pass-cum-ballot paper pass as “**Proxy**” or “**Authorized Representative**” as the case may be. Such entry passes shall be surrendered to obtain ballot paper at the time of Poll.

5. Voting Rights

In terms of provisions of Section 3 (2E) of the Act, no shareholder of the Bank, other than the Central Government, shall be entitled to exercise voting rights in respect of any shares held by him/her in excess of **ten per cent** of the total voting rights of all the shareholders of the Bank. Each shareholder who has been registered as a shareholder on or before Friday, 14th December 2018 (cut-off date for determining the voting rights of the shareholders both for remote e-voting and voting by ballot paper at the venue of the Meeting) shall have one vote for each share held by him **subject to maximum of 10% of the total voting rights**, other than the Central Government.

As per Regulation 10 of the OBC Regulations, 1998, if any share stands in the name of two or more persons, the person first named in the register shall, as regards voting, be deemed to be the sole holder thereof.

• Voting

- I. In compliance with provisions of Regulation 44 of the SEBI LODR read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 as amended by the Companies (Management and Administration) Amendment Rules, 2015, the Bank is pleased to provide its members, facility to exercise their right to vote on resolutions proposed to be considered at the Extraordinary General Meeting (EGM) by electronic means and the business may be transacted through e-Voting Services. The facility of casting the votes by the members using an electronic voting system from a place other than venue of the EGM (“remote e-voting”) will be provided by National Securities Depository Limited (NSDL).
- II. The facility for voting through ballot paper shall be made available at the EGM and the members attending the

meeting who have not cast their vote by remote e-voting shall be able to exercise their right to vote at the meeting through Ballot Paper.

- III. The members who have cast their vote by remote e-voting prior to the EGM may also attend the EGM but shall not be entitled to cast their vote again.
- IV. The remote e-voting period commences on 18th December, 2018 (9:00 a.m.) and ends on 20th December, 2018 (5:00 p.m.) (both days inclusive). During this period members' of the Bank, holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on the cut-off date of 14th December 2018, may cast their vote by remote e-voting. The remote e-voting module shall be disabled by NSDL for voting thereafter. Once the vote on a resolution is cast by the member, the member shall not be allowed to change it subsequently.
- V. The way to vote electronically on NSDL e-Voting system consists of "Two Steps" which are mentioned below:

Step 1: Log-in to NSDL e-Voting system at <https://www.evoting.nsdl.com/>

Step 2: Cast your vote electronically on NSDL e-Voting system.

Details on Step 1 are mentioned below:

How to Log-in to NSDL e-Voting website?

1. Visit the e-Voting website of NSDL. Open web browser by typing the following URL: <https://www.evoting.nsdl.com/> either on a Personal Computer or on a mobile.
2. Once the home page of e-Voting system is launched, click on the icon "Login" which is available under 'Shareholders' section.
3. A new screen will open. You will have to enter your User ID, your Password and a Verification Code as shown on the screen.
Alternatively, if you are registered for NSDL eservices i.e. IDEAS, you can log-in at <https://eservices.nsdl.com/> with your existing IDEAS login. Once you log-in to NSDL eservices after using your log-in credentials, click on e-Voting and you can proceed to Step 2 i.e. Cast your vote electronically.
4. Your User ID details are given below :

Manner of holding shares i.e. Demat (NSDL or CDSL) or Physical	Your User ID is:
a) For Members who hold shares in demat account with NSDL.	8 Character DP ID followed by 8 Digit Client ID For example if your DP ID is IN300*** and Client ID is 12***** then your user ID is IN300***12*****.
b) For Members who hold shares in demat account with CDSL.	16 Digit Beneficiary ID For example if your Beneficiary ID is 12***** then your user ID is 12*****.
c) For Members holding shares in Physical Form.	EVEN Number followed by Folio Number registered with the company For example if folio number is 001*** and EVEN is 101456 then user ID is 101456001***

5. Your password details are given below:
 - a) If you are already registered for e-Voting, then you can use your existing password to login and cast your vote.,
 - b) If you are using NSDL e-Voting system for the first time, you will need to retrieve the 'initial password' which was communicated to you. Once you retrieve your 'initial password', you need to enter the 'initial password' and the system will force you to change your password.
 - c) How to retrieve your 'initial password'?
 - (i) If your email ID is registered in your demat account or with the company, your 'initial password' is communicated to you on your email ID. Trace the email sent to you from NSDL from your mailbox. Open the email and open the attachment i.e. a .pdf file. Open the .pdf file. The password

to open the .pdf file is your 8 digit client ID for NSDL account, last 8 digits of client ID for CDSL account or folio number for shares held in physical form. The .pdf file contains your 'User ID' and your 'initial password'.

- (ii) If your email ID is not registered, your 'initial password' is communicated to you on your postal address.
- 6. If you are unable to retrieve or have not received the "Initial password" or have forgotten your password:
 - a. Click on "[Forgot User Details/Password?](#)" (If you are holding shares in your demat account with NSDL or CDSL) option available on www.evoting.nsdl.com.
 - b. [Physical User Reset Password?](#)" (If you are holding shares in physical mode) option available on www.evoting.nsdl.com.
 - c. If you are still unable to get the password by aforesaid two options, you can send a request at evoting@nsdl.co.in mentioning your demat account number/folio number, your PAN, your name and your registered address.,
- 7. After entering your password, tick on Agree to "Terms and Conditions" by selecting on the check box.,
- 8. Now, you will have to click on "Login" button.,
- 9. After you click on the "Login" button, Home page of e-Voting will open.

Details on Step 2 are given below:

How to cast your vote electronically on NSDL e-Voting system?

- 1. After successful login at Step 1, you will be able to see the Home page of e-Voting. Click on e-Voting. Then, click on Active Voting Cycles.
- 2. After clicking on Active Voting Cycles, you will be able to see all the companies "EVEN" in which you are holding shares and whose voting cycle is in active status.
- 3. Select "EVEN" of the Bank.
- 4. Now you are ready for e-Voting as the Voting page opens.
- 5. Cast your vote by selecting appropriate options i.e. assent or dissent, verify/modify the number of shares for which you wish to cast your vote and click on "Submit" and also "Confirm" when prompted.
- 6. Upon confirmation, the message "Vote cast successfully" will be displayed.
- 7. You can also take the printout of the votes cast by you by clicking on the print option on the confirmation page.
- 8. Once you confirm your vote on the resolution, you will not be allowed to modify your vote.

General Guidelines for shareholders

- 1. Institutional shareholders (i.e. other than individuals, HUF, NRI etc.) are required to send scanned copy (PDF/JPG Format) of the relevant Board Resolution/ Authority letter etc. with attested specimen signature of the duly authorized signatory(ies) who are authorized to vote, to the Scrutinizer by e-mail to amitguptacs@gmail.com with a copy marked to evoting@nsdl.co.in.
 - 2. It is strongly recommended not to share your password with any other person and take utmost care to keep your password confidential. Login to the e-voting website will be disabled upon five unsuccessful attempts to key in the correct password. In such an event, you will need to go through the "[Forgot User Details/Password?](#)" or "[Physical User Reset Password?](#)" option available on www.evoting.nsdl.com to reset the password.
 - 3. In case of any queries, you may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) for Shareholders and e-voting user manual for Shareholders available at the download section of www.evoting.nsdl.com or call on toll free no.: 1800-222-990 or send a request at evoting@nsdl.co.in
- VI The voting rights of members shall be in proportion to their shares of the paid up equity share capital of the Bank **subject to maximum of 10% of total voting rights other than Central Government** as on the cut-off date of **14th December 2018**.
- VII Any person, who acquires shares of the Bank and becomes member of the Bank after dispatch of the Notice and holding shares as on the cut-off date i.e. **14th December 2018**, may obtain the login ID and password by sending a request at evoting@nsdl.co.in or to Bank's Registrar, Link Intime India Pvt. Ltd. at delhi@linkintime.co.in.

- VIII A member may participate in the EGM even after exercising his right to vote through remote e-voting but shall not be allowed to vote again at the EGM.
- IX A person, whose name is recorded in the register of members or in the register of beneficial owners maintained by the depositories as on the cut-off date only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting as well as voting at the EGM through Ballot Paper.
- X Mr. Amit Gupta, Practicing Company Secretary (C.P. No. 4682) has been appointed as the Scrutinizer for providing facility to the members of the Bank to scrutinize the voting and remote e-voting process in a fair and transparent manner.
- XI The Chairman shall at the EGM at the end of discussion on the resolutions on which voting is to be held, allow voting with the assistance of Scrutinizer, by use of "Ballot Paper" for all those members who are present at the EGM and have not cast their votes by availing the remote e-voting facility.
- XII The Scrutinizer shall after the conclusion of voting at the EGM, first count the votes cast at the meeting and thereafter unblock the votes cast through remote e-voting in the presence of at least two witnesses not in the employment of the Bank and shall make not later than 48 hours of the conclusion of the EGM, a consolidated Scrutinizer's Report of the total votes cast in favour or against, if any, to the Chairman or a person authorized by him in writing, who shall countersign the same and declare the result of the voting forthwith.
- XIII The Results declared along with the report of the Scrutinizer shall be placed on the website of the Bank www.obcindia.co.in and on the website of NSDL immediately after the declaration of result by the Chairman or a person authorized by him in writing. The results shall also be immediately forwarded to the NSE and BSE.

Other information

- a) Shareholders are requested to note that copies of the Notice will not be distributed at the venue of the Extraordinary General Meeting and hence shareholders are requested to bring their copies of the Notice or extract thereof, mailed by the Bank to them at their registered addresses and/or e-mail addresses.
- b) In support of the green initiative, the Bank has decided to send soft copies of the Notice of Extraordinary General Meeting to all the shareholders who have registered their e-mail ids with their Depository Participant/ Registrar and Share Transfer Agent of the Bank, as per the provisions of Regulation 36 of the SEBI (LODR) Regulations, 2015.
- c) Shareholders may note that the Notice of the Extraordinary General Meeting will also be available on the Bank's website www.obcindia.co.in for their download. Even after registering for e-communication, Shareholders are entitled to receive such communication in physical form, upon making a request for the same by post free of cost. For any communication, the shareholders may also send requests to the Bank's dedicated e-mail ID -: mbd@obc.co.in or by post.
- d) **Dematerialization of Shares:** Shareholders who are still holding their shares in physical form are requested to get their shares dematerialized at the earliest in view of SEBI Guidelines restricting transfer of shares in Physical form w.e.f. 5th December 2018
- e) **Change of address or updation of e-mail ID:** For change of address or email id, shareholders are requested to notify change in address / email id to:
- Their respective Depository Participant in respect of holding shares in demat form and
 - Bank's Registrar and Share Transfer Agent (RTA) i.e. Link Intime India Pvt. Ltd. in case of physical holding.

Address for Communication with Registrar and Share Transfer Agent:

M/s Link Intime India Pvt. Ltd

Noble heights, 1st floor, Plot no. 2, C-1 block LSC,

Near Savitri Market, Janakpuri,

New Delhi - 110058

Phone Nos.: +91-11-41410592|93|94

Fax: +91-11-4141 0591

Email Id: delhi@linkintime.co.in

Website: www.linkintime.co.in

Investors may also contact the Investor Grievance Cell at the under mentioned addresses for any assistance:

Oriental Bank of Commerce

Corporate Office - Merchant Banking Division,

Second Floor, Plot No. 5,

Sector - 32, Institutional Area, Gurugram – 122001

Phone Nos. 0124-4126281 / 285

E mail: mbd@obc.co.in

Website: www.obcindia.co.in

- f) Shareholders who hold shares in physical form in multiple folios in identical names or joint names in the same order of names are requested to send their share certificates to the Bank's RTA for consolidation into single folio.
- g) Shareholders may kindly note that no gift/gift coupon will be distributed at the meeting.
- h) Due to strict security reasons brief cases, eatables and other belongings are not allowed inside the Auditorium. Persons attending the meeting are therefore advised to make their own arrangements for safe keeping of their articles.

Explanatory Statement

With a view to enhance sense of belongingness and to motivate the Bank's Employees and reward and recognize the experienced hands, the Bank proposes to issue new equity shares to its permanent employees in India and abroad including the Managing Director & Chief Executive Officer and Executive Directors of the Bank (Eligible Employees). The proposed issue will also measure up to meet the growing demands for long term resources and shore the Bank's capital adequacy in line with the BASEL III requirements. The proposed issue will also measure up to meet the growing demands for long term resources and shore up the Bank's capital adequacy in line with the BASEL III requirements.

In compliance with SEBI (SBEB) Regulations, 2014, the Bank is formulating a Scheme namely Oriental Bank of Commerce Employee Share Purchase Scheme ("OBC-ESPS"). The Scheme will be administered by a Committee of the Board and shall be subject to compliance with the applicable laws. In line with the Bank's capital raising plan for the year 2018-19, the Board of Directors has decided to offer upto 5 crore new equity shares of face value of ₹10.00 each to employees of the Bank through Oriental Bank of Commerce Employee Share Purchase Scheme (OBC-ESPS) in one or more tranches subject to mandatory/ regulatory approvals from the GoI / SEBI / Other regulatory agencies etc. in such a way that the Government of India holding does not fall below 52.00%.

The object of the Issue, apart from raising of long term resources is:

- (i) To recognize and reward the contributions made by the employees of the Bank and align the interests of the employees with the long term interests of the Bank; and
- (ii) To encourage equity ownership by eligible employees which would enhance a sense of belongingness and ownership amongst employees of the Bank by providing them with the means to acquire a proprietary interest in the Bank.
- (iii) To attract, retain and reward its employees by sharing the value created by employees

The new equity shares proposed to be issued under the OBC ESPS shall rank pari passu in all respects with the existing equity shares of the Bank including payment of dividend, if any, declared by the Bank.

In compliance with Regulation 41(4) of the SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and Regulation 6 of SEBI (Share Based Employee Benefits) Regulations, 2014, the Bank is proposing the Special Resolution for issuance and allotment of new equity shares to Eligible Employees.

Pursuant to SEBI Circular No. CIR/CFD/Policy Cell/ 2015 dated 16th June 2015, additional disclosures as enumerated therein are as under:

A. BRIEF DESCRIPTION OF THE SCHEME:

The Bank proposes to offer upto 5 (Five) crore new equity shares of the Bank face value of ₹10/- each to all the Eligible Employees under "OBC-ESPS" subject to applicable laws, Rules, Regulations and Guidelines, to be decided at the time of making offer in such a way that the Government of India does not reduce below 52.00%.

B. TOTAL NUMBER OF SHARES TO BE GRANTED:

Up to 5,00,00,000 (Five crore) new equity shares in aggregate are proposed to be offered to the Eligible Employees under the "OBC-ESPS". In the event of any change to the equity capital of the Bank by reason of split, capitalization, consolidation, exchange or other changes affecting the outstanding equity capital, appropriate adjustments shall be made to the maximum number of shares to be issued under ESPS.

C. IDENTIFICATION OF CLASSES OF EMPLOYEES ENTITLED TO PARTICIPATE AND BE BENEFICIARIES IN THE OBC ESPS:

All Permanent Employees of the Bank who have been working in India or outside India including Managing Director & Chief Executive Officer and Executive Director(s) of the Bank.

D. REQUIREMENTS OF VESTING AND PERIOD OF VESTING:

Not Applicable.

E. MAXIMUM PERIOD [SUBJECT TO REGULATION 18(1) AND 24(1) OF THE SEBI (SHARE BASED EMPLOYEE BENEFITS) REGULATIONS, AS THE CASE MAY BE] WITHIN WHICH THE OPTIONS/SARs/BENEFIT SHALL BE VESTED:

Not Applicable.

F. EXERCISE PRICE, SAR PRICE, PURCHASE PRICE OR PRICING FORMULA:

The Offer Price / Purchase Price will be determined by the Board/Committee of Board at the time of the offer. The Equity Shares to be allotted under the Scheme to the Eligible Employees of the Bank shall be offered at a discount of not more than 25% on the average of the weekly high and low of the Volume Weighted Average Prices (VWAP) of the equity shares as quoted on the stock exchange with highest trading volume during the two weeks preceding the date on which the Committee of Board fixes the Offer / Purchase Price.

Under no circumstances, the equity shares shall be allotted under the ESPS at a price which is lower than the face value of the equity shares i.e. ₹10 per equity shares.

G. EXERCISE PERIOD AND PROCESS OF EXERCISE:

The period during which the issue remains open as per decision of the Board / Committee shall be the Exercise Period. The process of exercise would, inter-alia, include offer made to the Eligible Employees, receipt of application and subscription amount and allotment of shares pursuant to the Scheme.

H. THE APPRAISAL PROCESS FOR DETERMINING THE ELIGIBILITY OF EMPLOYEES FOR THE PROPOSED ESPS:

Eligible Employees as on the date of offering will be entitled to participate subject to the applicable regulatory requirements and guidelines.

I. MAXIMUM NUMBER OF OPTIONS, SARs, SHARES, AS THE CASE MAY BE, TO BE ISSUED PER EMPLOYEE AND IN AGGREGATE :

The Bank proposes to issue maximum of 5,00,00,000 (Five crore) new equity shares in aggregate. The maximum number of equity shares proposed to be issued per employee under the Scheme shall be decided by the Board/Committee of Board subject to not exceeding 1.00% of the post issue paid-up capital of the Bank.

J. MAXIMUM QUANTUM OF BENEFITS TO BE PROVIDED PER EMPLOYEE UNDER THE SCHEME:

Other than equity shares issued to the Employees under the Scheme as indicated in para (I) above, no other benefit is proposed to be provided to the Employees.

K. WHETHER THE SCHEME (S) IS TO BE IMPLEMENTED AND ADMINISTERED DIRECTLY BY THE BANK OR THROUGH A TRUST:

The proposed Scheme will be implemented and administered directly by the Bank.

L. WHETHER THE SCHEME (S) INVOLVES NEW ISSUE OF SHARES BY THE COMPANY OR SECONDARY ACQUISITION BY THE TRUST OR BOTH:

Under the proposed Scheme, the Bank will issue new equity shares directly to the Eligible Employees.

M. THE AMOUNT OF LOAN TO BE PROVIDED FOR THE IMPLEMENTATION OF THE SCHEME (S) BY THE COMPANY TO THE TRUST, ITS TENURE, UTILIZATION, REPAYMENT TERMS, ETC.:

Under the proposed Scheme, the new equity shares of the Bank are proposed to be issued directly to the Eligible Employees and as such, the formation of the Trust or providing loan to the Trust is Not Applicable.

N. MAXIMUM PERCENTAGE OF SECONDARY ACQUISITION (SUBJECT TO LIMITS SPECIFIED UNDER THE SEBI REGULATIONS) THAT CAN BE MADE BY THE TRUST FOR THE PURPOSES OF THE SCHEME (S):

Not Applicable.

O. A STATEMENT TO THE EFFECT THAT THE BANK SHALL CONFORM TO THE ACCOUNTING POLICIES SPECIFIED IN REGULATION 15 OF SEBI (SBEB) REGULATIONS:

The Bank will conform to the accounting policies specified in Regulation 15 of SEBI (SBEB) Regulations, as applicable from time to time.

P. THE METHOD WHICH THE BANK SHALL USE TO VALUE ITS OPTIONS OR SARs:

Under the proposed Scheme, the Bank proposes to issue new equity shares and as such, the valuation of Options or SARs is Not Applicable.

Q. THE FOLLOWING STATEMENT, IF APPLICABLE:

In case the Bank opts for expensing of share based employee benefits using the intrinsic value, the difference between the employee compensation cost so computed and the employee compensation cost that shall have been recognized if it had used the fair value, shall be disclosed in the Directors' Report and the impact of this difference on profits and on earnings per share ("EPS") of the Bank shall also be disclosed in the Directors' Report.

The Bank will comply with the above requirements, if applicable.

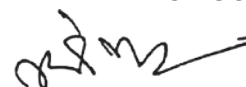
R. LOCK-IN PERIOD:

The new equity shares proposed to be issued under the present ESPS shall be locked-in for a minimum period of one year from the date of allotment as per SEBI (SBEB) Regulations.

The Board of Directors recommends the passing of the proposed Special Resolution.

The Managing Director & Chief Executive Officer, the Executive Directors and other Key Managerial Persons (KMPs) of the Bank are concerned or interested in the aforementioned Resolution as it is intended for their benefit. Other Directors are not concerned or interested in the Resolution.

By order of the Board of Directors
for ORIENTAL BANK OF COMMERCE



Mukesh Kumar Jain
Managing Director & CEO

Place: Gurugram
Date: 17.11.2018



ORIENTAL BANK OF COMMERCE

Head Office: Harsha Bhawan, E-Block, Connaught Place, New Delhi – 110001

Corporate Office: Plot No.5, Sector-32, Institutional Area, Gurugram – 122001

ATTENDANCE SLIP

(To be surrendered at the time of entry to the Venue)

Date: December 21st 2018

Time: 10.00 a.m.

Place: New Delhi

Regd. Folio No.	DP ID & Client ID
(if shares are not dematerialized)	(If shares are dematerialized)
Name of the Shareholder (in BLOCK LETTERS)	
Number of Shares	
Signature of the Shareholder / Proxy / Representative present	

I hereby record my presence at the Extraordinary General Meeting of the Bank held on December 21st 2018 at PHD Chamber of Commerce and Industry, PHD House, 4/2, Siri Institutional Area, August Kranti Marg, New Delhi – 110016.

Signature of the Shareholder/Proxy/Authorised Representative	
--	--



ORIENTAL BANK OF COMMERCE

Head Office: Harsha Bhawan, E-Block, Connaught Place, New Delhi – 110001

Corporate Office: Plot No.5, Sector-32, Institutional Area, Gurugram – 122001

ENTRY PASS

(To be retained throughout the meeting)

Date: December 21st 2018

Time: 10.00 a.m.

Place: New Delhi

Regd. Folio No.	DP ID & Client ID
(if shares are not dematerialized)	(If shares are dematerialized)
Name of the Shareholder(in BLOCK LETTERS)	
Number of Shares	
Signature of the Shareholder / Proxy / Authorised Representative present	



ORIENTAL BANK OF COMMERCE

Head Office: Harsha Bhawan, E-Block, Connaught Place, New Delhi – 110001

Corporate Office: Plot No.5, Sector-32, Institutional Area, Gurugram – 122001

(To be surrendered to the Polling counters for issue of ballot paper)

Date: December 21st 2018

Time: 10.00 a.m.

Place: New Delhi

Regd. Folio No.	DP ID & Client ID
(if shares are not dematerialized)	(If shares are dematerialized)
Name of the Shareholder (in BLOCK LETTERS)	
Number of Shares	
Signature of the Shareholder / Proxy / Authorised Representative present	

Shareholders / proxy holders / authorized representatives are requested to produce the above Attendance Slip-cum-Entry Pass cum ballot paper pass, duly signed in accordance with their specimen signatures registered with the Bank, for admission to the venue. The admission may, however, be subject to verifications / checks, as may be deemed necessary. Under no circumstances, any duplicate Attendance Slip-Cum-Entry Pass-Cum-Ballot Paper Pass would be issued at the entrance to the meeting hall.



ORIENTAL BANK OF COMMERCE

Head Office: Harsha Bhawan, E-Block, Connaught Place, New Delhi – 110001
Corporate Office: Plot No.5, Sector-32, Institutional Area, Gurugram – 122001

PROXY FORM 'B'

(To be filled in and signed by the shareholder)

Regd. Folio No.		DP ID	
If shares are not dematerialized		Client ID	
		If shares are dematerialized	

I/We, _____ resident/s of _____ in the district of _____ in the State of _____ being a shareholder/shareholders of ORIENTAL BANK OF COMMERCE, hereby appoint Shri/Smt. _____ resident of _____ in the district of _____ in the State of _____ or failing him/her, Shri/Smt. _____ resident of _____ in the district of _____ in the State of _____ as my/our proxy to vote for me/us on my/our behalf at the EXTRAORDINARY GENERAL MEETING of the shareholders of **ORIENTAL BANK OF COMMERCE** to be held on Friday, the December 21st 2018 at PHD Chamber of Commerce and Industry, PHD House, 4/2, Siri Institutional Area, August Kranti Marg, New Delhi – 110016 and at any adjournment thereof. Signed this _____ day of _____ 2018.

Please affix Revenue Stamp

Signature of the Proxy

Signature of the first holder/sole holder

Name: _____

Address: _____

INSTRUCTIONS FOR SIGNING AND LODGING THE PROXY FORM

1.	No instrument of proxy shall be valid unless,	
	a)	in case of an individual shareholder, it is signed by him/her or by his/her attorney duly authorised in writing
	b)	in the case of joint holders, it shall be signed by the shareholder first named in the Register of Members or by his/her attorney duly authorised in writing
	c)	in the case of a body corporate, signed by its officer and executed under its Common Seal, if any, or otherwise signed by its attorney duly authorised in writing and shall be in the Form B and duly stamped.
2.	An instrument of proxy shall be sufficiently signed by any shareholder, who is, for any reason, unable to write his/her name, if his /her remark is affixed thereto and attested by a Judge or Magistrate or Registrar or Sub-Registrar of Assurances or any other Government Gazetted Officer or an officer of Oriental Bank of Commerce or any other Nationalised Bank.	
3.	The proxy together with	
	a.	the power of attorney or other authority (if any) under which it is signed or
	b.	a copy of that power of attorney or authority, certified by a Notary Public or a Magistrate, should be deposited at Head Office or Corporate Office of the Bank, not later than FOUR DAYS before the date of the Extraordinary General Meeting, i.e. on or before closing hours of the Bank at 5.00 p.m. of Saturday, 15 th December 2018.
4.	No instrument of proxy shall be valid unless it is in Form B and duly stamped.	
5.	An instrument of proxy deposited with the Bank shall be irrevocable and final.	
6.	In the case of an instrument of proxy granted in favour of two grantees in the alternative, not more than one form shall be executed.	
7.	The shareholder who has executed an instrument of proxy shall not be entitled to vote in person at the Extra-ordinary General meeting to which such instrument relates.	
8.	No person shall be appointed as duly authorised representative or a proxy who is an officer or an employee of Oriental Bank of Commerce.	
9.	All alterations in the Proxy Form should be duly authenticated.	
